डाक-व्यय की पूर्व अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. रायपुर-सी.जी.

पंजीयन क्रमांक रायपुर डिवीजन

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 230]   रायपुर, बुधवार, दिनांक 10 अक्टूबर 2001—आश्विन 18, शक 1923

परिवहन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 10 अक्टूबर 2001

अधिसूचना

क्रमांक 668/परि.वि./2001.—मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का सं. 59) की धारा 96 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम, 1994 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, जिन्हें उक्त अधिनियम की धारा 212 की उप धारा (1) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार पूर्व में ही प्रकाशित किया जा चुका है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में—

1. नियम 2 के उप-नियम (क) के पश्चात् निम्नलिखित उप-नियम अंत:स्थापित किये जायें, अर्थात् :—

"(क क) 'परिवहन जांच-चौकी' से अभिप्रेत ऐसी जांच-चौकी से है जो समय-समय पर राज्य शासन द्वारा मोटरयान अधिनियम, 1988 (सन् 1988 का क्रमांक 59) एवं उसके अंतर्गत बने नियमों, छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 (सन् 1991 का क्रमांक 25) एवं उसके अंतर्गत बने नियमों एवं अन्य संबंधित विषयों के प्रावधानों के नियंत्रण एवं प्रवर्तन करने के लिए स्थापित की गई है."

2. नियम 67 के उप-नियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम स्थापित किये जायें, अर्थात् :—

"(3) क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी सामान्य या विशेष संकल्प द्वारा अपने क्षेत्र की परिवहन जांच-चौकी के प्रभारी अधिकारी को धारा 87 की उप-धारा (1) के अधीन अन्य राज्यों के मालयान को, छत्तीसगढ़ राज्य में माल के परिवहन के लिये अस्थाई रूप से उपयोग हेतु, इस शर्त के अधीन कि ऐसी यान छत्तीसगढ़ राज्य-अभ्यांतर संचालन नहीं करेगी, प्राधिकृत करने के लिये अस्थाई अनुज्ञापत्र एक माह अथवा उसके भाग के लिये जारी करने की शक्ति भी प्रत्यायोजित कर सकेगा.

परंतु यह कि परिवहन जांच-चौकी का प्रभारी अधिकारी प्रत्यायोजित शक्ति के अनुसरण में उसके द्वारा की गई कार्यवाही के संबंध में क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी एवं परिवहन आयुक्त को समय-समय पर सूचित करेगा एवं जारी किये गये ऐसे अनुज्ञापत्रों की सूची भेजेगा.

परंतु यह भी कि इस उप-नियम के अंतर्गत अस्थाई अनुज्ञापत्र जारी करने के पूर्व परिवहन जांच-चौकी का प्रभारी अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि वाहन जिसके लिये उसके द्वारा अनुज्ञापत्र जारी किया जाना है के संबंध में छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 (सन् 1991 का क्रमांक 25) के अंतर्गत करों का भुगतान किया जा चुका है.

(4) इस नियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी समय-समय पर उसके सचिव, अतिरिक्त सचिव, सहायक सचिव, कलेक्टर या परिवहन जांच-चौकी के प्रभारी अधिकारी को उस रीति से अनुदेश जारी करेगा कि, जिसमें कि उसे प्रत्यायोजित की गई शक्तियों का प्रयोग किया जाना है."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. विज, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 10 अक्टूबर 2001

क्रमांक 668/परि.वि./2001.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड 3 के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना समसंख्यक दिनांक 10-10-2001 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. विज, उप-सचिव.

Raipur, the 10th October 2001

NOTIFICATION

No. 668/Tr.D./2001.—In exercise of the powers conferred by Section 96 of the Motor Vehicle Act, 1988 (No. 59 of 1988), the State Government, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Motor Vehicle Rules, 1994, the same having been previously published as required by sub-section (1) of Section 212 of the said Act, namely :—

AMENDMENT

In the said rules—

1. In rule 2 after sub-clause (a), the following sub-clause shall be inserted, namely :—

"(aa) 'Transport Check-post' means the check-post established by the State Government from time to time for the

control and enforcement of the provisions of Motor Vehicles Act, 1988 (No. 59 of 1988) and the rules made there-under, the Chhattisgarh Motoryan Karadhan Adhiniyam, 1991 (No. 25 of 1991) and the rules made there-under, and other related matters."

2. For sub-rule (3) of the rule 67, the following sub-rules shall be substituted, namely :—

"(3) The Regional Transport Authority may also by general or special resolution delegate to an officer-in-charge of the transport check-post in its region, the power under sub-section (1) of Section 87 to grant temporary permit to a goods carriage for a period of one month or part thereof authorizing the use of a goods carriage of other state temporarily within the State of Chhattisgarh for transport of goods subject to the condition that such vehicle shall not be used for intra-state operation in Chhattisgarh.

Provided that an officer-in-charge of the transport check-post shall keep informed the Regional Transport Authority and the Transport Commissioner from time to time of the action taken by him in pursuance of powers delegated and a list of all permits so issued shall be sent.

Provided further that before issue of temporary permit under this sub-rule the officer-in-charge of the transport check-post shall ensure that the taxes under the Chhattisgarh Motoryan Karadhan Adhiniyam, 1991 (No. 25 of 1991) are paid in respect of the vehicle for permit is to be issued by him.

(4) Notwithstanding anything contained in this rule, the Regional Transport Authority may, from time to time, issue instructions to its secretary, additional secretary, assistant secretary, collector or an officer-in-charge of the transport check-post as to the manner in which he shall exercise the powers delegated to him.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
R. K. VIJ, Deputy Secretary.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2001.